

IPC की धारा 124A पर 22वाँ वधि आयोग

प्रलिमि्स के लिये:

<u>राजद्रोह कानून, धारा 124A, विधि आयोग, गैर-कानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधनियिम (UAPA), राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियिम</u>

मेन्स के लिये:

22वें वधि आयोग की सफिारशिं, राजद्रोह कानून का महत्त्व और संबंधति मुद्दे

चर्चा में क्यों?

विधि आयोग की 22वीं रिपोर्ट राजदरोह से संबंधित IPC की धारा 124A को बनाए रखने की सिफारिश करती है, लेकिन दुरुपयोग को रोकने के लिये संशोधन Vision और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखती है।

वधि आयोग की सफारशिं:

- पृष्ठभूमिः
 - ॰ गृह मंत्रालय ने वधि आयोग से धारा 124A के उपयोग की जाँच करने और वर्ष 2<mark>0</mark>16 में एक पत्र के माध्यम से संशोधन प्रस्तावति करने का अनरोध किया था।
 - ॰ वधि आयोग की रपीर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है किंगैर-कानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधनियम (UAPA) और राष्ट्रीय सुरकुषा अधनियिम (NSA) जैसे कानूनों का अस्तति्व धारा 124A में उल्लिखिति अपराध के सभी पहलुओं को कवर नहीं करता है।
- सिफारिशें:
 - धारा 124A को बनाए रखना:
 - आयोग का तर्क है कि धारा 124A को पूरी तरह से अन्य देशों के कार्यों के आधार पर निरस्त करना भारत की अनूठी वास्तविकताओं की अनदेखी करेगा।
 - यह इस बात पर बल देता है कि किसी कानून की औपनविशकि उत्पत्ति सुवत: ही उसके निरसन की गारंटी नहीं देती है।
 - रिपोर्ट बताती है कि भारतीय कानून व्यवस्था पूरी तरह से औपनविशकि प्रभाव रखती है।
 - संशोधन और सुरक्षा:
 - आयोग धारा 124A में एक प्रक्र<mark>ियात्मक स</mark>ुरक्षा उपाय शामलि करता है, जिसमें राजद्रोह के लिये प्राथमिकी दर्ज करने से पहले **इंस्पेक्टर रैंक के एक <mark>पुलसि अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता</mark> होती है।**
 - अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र या राज्य सरकार की अनुमत ज़िरूरी होगी।
 - यह दंड प्रक्रिया संहता, 1973 की धारा 196 (3) के समान प्रावधान को धारा 124A के उपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक सुरकुषा <mark>उपायों के लर्</mark>यि समान संहतिा की धारा 154 के परंतुक के रूप में शामलि करने का पुरसुताव करती है।
 - आयोग यह निर्दिष्ट करने के लिये धारा 124A में संशोधन करने का सुझाव देता है कि यह व्यक्तियों को **'हिसा भड़काने या सारवजनकि अवयवस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्ति के साथ"** दंडित करता है।
 - सज़ा को बढ़ाना:
 - रिपोर्ट में राजद्रोह के लिये जेल की सज़ा को **अधिकतम 7 वर्ष या आजीवन कारावास तक बढ़ाने का प्रस्ताव** है।
 - वर्तमान में अपराध में तीन वर्ष तक की सज़ा या आजीवन कारावास है।

राजदरोह कानून को बनाए रखने का औचति्य:

- रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि दुरुपयोग के आरोप स्वतः ही धारा 124A के निरसन को उचित नहीं ठहराते हैं।
- यह उन उदाहरणों पर प्रकाश डालता है जहाँ व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और निहित स्वार्थों के लिये विभिन्न कानुनों का दुर्पयोग किया गया है।
- राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त करने से देश की सुरक्षा और अखंडता के लिये गंभीर प्रतिकृल परिणाम हो सकते हैं जिससे विधवंसक शकतियाँ स्थति का फायदा उठा सकती हैं।

राजद्रोह कानून:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

- 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राजद्रोह कानून लागू किये गए थे जब सांसदों का मानना था कि सरकार के केवल अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिये क्योंकि बुरे विचार सरकार और राजशाही के लिये हानिकारक थे।
- ॰ यह कानून मूल रूप से वर्ष 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार-राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था लेकिन वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) के लागू होने पर इसे अस्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था।
- ॰ धारा 124A को वर्ष 1870 में सर जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किये गए एक संशोधन द्वारा तब जोड़ा गया था जब अपराध से निपटान के लिये एक विशिष्ट धारा की आवश्यकता महसूस हुई।
- ॰ वर्तमान में राजद्रोह भारतीय दंड संहति। (IPC) की धारा 124A के तहत एक अपराध है।

IPC की धारा 124A:

- धारा 124A देशद्रोह को ऐसे कृत्य रूप में परिभाषित करती है जो"बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा,
 भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष (Disaffection) उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा।"
- ॰ प्रावधान के अनुसार, असंतोष (Disaffection) शब्द में निष्ठाहीनता और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल हैं। हालाँकि घृणा, अवमानना या असंतोष उत्पन्न करने का प्रयास किये बिना की गई टिप्पणी इस धारा के तहत अपराध नहीं होगी।

राजद्रोह के अपराध के लिये सज़ा:

- ॰ राजद्रोह **गैर-जमानती अपराध** है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- ॰ इस कानून के तहत आरोपति व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है।
- ॰ आरोपति व्यक्ति के पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना अनवािर्य होता है।

राजद्रोह कानून से संबंधति वभिनि्न तर्क:

पक्ष में तर्क:

उचित प्रतिबंध:

- भारत का संविधान उचित प्रतिबिधों (अनुच्छेद 19 (2) के तहत) को निर्धारित करता है जो कि इस अधिकार (भाषण औरअभिवियक्ति की स्वतंत्रता) पर हमेशा लगाया जा सकता है ताकि इसके जि़म्मेदार अभ्यास को सुनिश्चित किया जा सके और यह आश्वस्त किया जा सके कि यह सभी नागरिकों के लिये समान रूप से उपलब्ध है।
- एकता और अखंडता बनाए रखना:
 - ॰ राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्रवरिधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों से निपटने में मदद करता है।

राज्य की सथिरता बनाए रखना:

- ॰ यह निर्वाचित सरकार को हिसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है।
- ॰ कानून द्वारा स्थापति सरकार का नरिंतर अस्तित्व राज्य की स्थरिता की एक अनवीर्य शर्त है।

राजदरोह कानून को बनाए रखने के खिलाफ तर्क:

औपनविशकि काल के अवशेष:

- ॰ औपनविशकि पुरशासकों ने बुरटिशि नीतियों की आ<mark>लोचना क</mark>रने वाले लोगों को बंद करने के लिये देशदुरोह का इस्तेमाल किया।
- ॰ स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों जैसे- लोक<mark>मान्य तलिक</mark>, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिह आदि को ब्रटिश शासन के तहत उनके "देशदरोही" भाषणों, लेखन और गत<mark>विधियों के लि</mark>ये दोषी ठहराया गया था ।
- ॰ इस प्रकार राजद्रोह कानून <mark>का धड़ल्ले से</mark> इस्तेमाल औपनविशकि युग की याद दलाता है।

• देशद्रोह के मामलों पर NCRB की रिपोर्ट:

- NCRB की भारत में अपराध रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण से पता चला है कि वर्ष 2021 में देश भर में 76 राजद्रोह के मामले दर्ज किये गए थे, जो कि वर्ष 2020 में पंजीकृत 73 में मामूली वृद्धि थी।
- ॰ देशद्रोह कानून (IPC की धारा 124A) के तहत दायर मामलों में सज़ा की दर अब सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले का विषय है, पिछले कुछ वर्षों में 3% और 33% के बीच उतार-चढ़ाव आया है और अदालत में ऐसे मामलों की लंबतिता वर्ष 2020 में 95% के उच्च स्तर पर पहुँच गई है।

संवधान सभा का स्टैंड:

- संविधान सभा देशद्रोह को संविधान में शामिल करने पर सहमत नहीं हुई। सदस्यों ने महसूस किया कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की सवतंत्रता को कम करेगा।
- ॰ उन्होंने तरक दिया कि राजदरोह कानून को विरोध करने के लोगों के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये एक साधन (Weapon) में बदल दिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना:

- केंदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजद्रोह के आवेदन को "अव्यवस्था पैदा करने के इरादे या प्रवृत्ति या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी या हिसा के लिये उकसाने" तक सीमित कर दिया।
- ॰ इस पुरकार शकिषाविदों, वकीलों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्तताओं और छात्रों के खिलाफ देशदरोह का आरोप लगाना सरवोचच

न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

लोकतांत्रिक मूल्यों का दमनः

॰ मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण भारत को निर्वाचित निरंकुशता के रूप में वर्णित किया जा रहा है

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निमनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015)

- 1. रॉलेट अधनियिम, 'सेडशिन समिति' की सिफारशि पर आधारित था।
- 2. रॉलेट सत्याग्रह में गांधीजी ने होमरूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया।
- 3. साइमन कमीशन के आगमन के वरिद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ-साथ हुए।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिय:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- रॉलेट समिति, जिस सेडिशन/राजद्रोह समिति के रूप में भी जाना जाता है, को वर्ष 1917 में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसके अध्यक्ष एक अंग्रेज़ी न्यायाधीश सिडिनी रॉलेट थे।
- वर्ष 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियिम (रॉलेट एक्ट/ब्लैक एक्ट/काला कानून के रूप में जाना जाता है) राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। अत: कथन 1 सही है।
- इस अधिनियम ने सरकार को आतंकवाद के संदेह वाले किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी मुकदमे के अधिकतम दो वर्ष की कैद की अनुमति दी।
- इस अन्यायपूर्ण कानून के जवाब में गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। 6 अप्रैल, 1919 को हड़ताल (या हड़ताल) शुरू की गई थी।
- उन्होंने होमरूल लीग के सदस्यों से हड़ताल में भाग लेने का आह्वान किया। अत: कथन 2 सही है।
- रॉलेट सत्याग्रह वर्ष 1919 में हुआ था, जबकि साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। अतः कथन 3 सही नहीं है।

अतः वकिल्प (b) सही है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-22nd-law-commission-on-section-124a-of-the-ipc